

5  
G.P. 2  
16-12-2014

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2014

Ashok Mandal .....Petitioner

Versus

The State of Bihar and others .....Respondents

Sub:-Religious Trust Matter

Index

Sl.No.	Particulars of papers	Pages No.
1.	An application under Article 226 of the Constitution of India	1-12
2.	Annexure-1: A true photo copy of the application dt. 26.11.2012	13-14
3.	Annexure-2: A true photo copy of the application along with detail name of the new committee dt. 21.02.13	15-16
4.	Annexure-3: A true photo copy of th letter dt. 08.04.13&11.04.13 series	17-24
5.	Annexure-4 A true photocopy of letter dt.29.03.013	25
6.	Annexure-5 A true photo copy of letter dt. 27.12.2013	26
7.	Annexure-6 A true photo copy of application dt. 30.04.13 series	27-31
8.	Vakalatnama	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2014

Ashok Mandal .....Petitioner

Versus

The State of Bihar and others .....Respondents

Synopsis

Prayer For quashing the letter memo no.1766, dt.27.12.13 by which notice to only 15 persons villager Sarouni only,so far relating and constitution of the committee of the 11 persons Kali Mandir at Sarouni from Aam Sabha, whenever 11 members Committee has already been constituted,same has been reported to board and said committee is working without any complain from side of the village except Ex-Chaiman and Ex-Secretory ,who have been removed from their post,when they had not furnished income and expenditure from 2005 to 2012 , inspite of several notice and requested them for furnishing income and expenditure and they have defaulcated worth of the Rs.5,00,000 ( Five Lacs) and action taken by the present committee for recovery of said money, if any news committee will forms 11 member other than present member of the committee ,defaulcated money shall not recovered, for this reason ,terminated Ex-Chaiman and Ex-Secretory only, want new committee,as other than present member of present committee and further issud direction to the respondent Board for considering complain, which has been submitted by the present Management committee of the Kali Mandir of Sarouni, for recovery ,who have been com-mitted defaulcation Rs.5,00,000 ( FiveLacs),.

1950 In the year 1950 a Kali Mandir established in the villager Sarounikal,P.S. Bihariganj, District Madhepura,one Late Madan Mandal, who was Ex-land lord and donated 15 Acres of land at the time of abolished Jamindari Pratha and thereafter total responsibility had given to the villagers Sarounikala for performing Puja- Path of the Kali Mandir and yearly Mela ceremony celebrated by the villagers from the income of the said land and after death of donee Late Madan Mandal,villagers of Sarouni Kala have also purchased 11 Acres land from the income of the Chanda and subsequently shri Arjun Mandal dona-ted land about 2 Acres,altogether 28 Acres land of the Kali Mandir Sarounikala for good management and Puja Path and it is pertaining to stated here that income and Chanda of the said land every year celebrated Mela of the Kali Puja by the consent of villagers.

1950 In the year 1960 the respondent Board taken over the Kali Mandir of Sarouni Kala,subsequently the villagers nominated the 11 persons as a Managing Committee of the said Mandir,same was approved by the Board, the villagers come to know that Managing Committee is not supervising the Kali Mandir properly, same complain filed before Board , thereafter villagers call Aam Sabha for constitution of fresh managing Committee after constituting 11 members of the committee,same was reported to the Board and same was approved in the year 1982.

Bihar State Hindu Religious Trust Board, Patna, in pursuance of Sec. 22, Board constituted 11 members of the committee, first Chairman of the said committee Late Gulab Jha, and Secretary Late Panchanand Jha, and every

year income and expenditure of Puja Patha, all public of the village Sarouni Kala, after death the then Secretary Pandit Panchanand Jha, Late Shri Deo Mandal nominated as Secretary of Kali Nyash Samiti, Sarouni Kala.

- 2005 In the year 2005 as Secretary Shri Surendra Mishra nominated as Secretary and as Chairman of Shaileshwar Mandal but unfortunately both Chairman and Secretary of the Kali Nyas Samiti, Sarouni Kala misappropriated and mismanged income on personal use. Even if Kali Nyash Samiti own A/c vide SB A/c 30063, State Bank of India, Bihariganj. But never operated said account by Ex- Secretary Shri Surendra Mishra and Shaileshwar Mandal. For this regard, villagers and members of the Managing Committee of Kali Nyash Samiti, Sarouni Kala filed several application before the Board but respondent Board did not take any step for enquiry, whenever U/s - 62 of Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 mandate to make enquiry.
- Remove from the post of the chairman of the Managing Committee and re-appointed one Members as a Chairman in place of ex-chairman Shaileshwar Mandal, who is petitioner .
- 26.11.12, all members of the Executive Com mittee of Kali Mandir send a notice to the Ex-Secretary Surendra Mishra and asked about the income and expenditure of Nyash from 2005 to 2012 and the Executive Committee members also took resolution if the Ex- Secretary is not performed the duty in the term condition with the consent of Samiti then he will be removed and appoint a New Secretary.
- 21.02.13
- 29.03.013 Financial year 2013-14 has come for settlement of the Kali Samiti regarding immovable property like a Gudri Hatt for settlement on 28.03.2013 but S.D.O. Udakishunganj asked to Secretary Shri Surendra Mishra even he is not the member of the said samiti informed about the disqualified from the liability from the post of the Secretary of the Nyash Samiti Sarouni kala from 26.12.12 itself and C.O. Gwalpara also by application
- 08.04.13 Petitioner and villagers Present committee agitate before S.D.O., B.D.O.  
11.04.13 and C.O. ,Gwalpara and also made application Officer incharge, Bihariganj, andand C.O. ,Gwalpara and also made application Officer incharge, Bihariganj and Board, regarding defalcation of the amounting about Rs. 5.00 Lakhs by the Ex-Secretary Surendra Mishra .
- 30.04.13 Elected ward member of the Grampanchayat Sarouni Kala filed application before Chairman of the Chairman of Bihar State Board of Religious Trust, Bihar, Patna and have constituted 11 member of new committee in the year 2013 and application also filed by the villagers of more than 1000 person ,said application recieved on 30.04.13 by the Board,
- 27.12.13 Religious Trust Board issued a letter dt. 27.12.13 by which issued a notice only name of the 15 members of the villagers Sarouni including the name of the petitioner by which also hold and directed to submit 11 members of the list for the Nyash Committee. Whenever already 11 members committee is functioning by dedication and have no complain against them till today thus no question arised for fresh or new members of the committee .

Hence this writ application.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C.No. of 2014

In the matter of an application under Article  
226 of the Constitution of India;

A N D

In the matter of

Ashok Mandal, S/o Late Shital Mandal, R/o village Sarounikala, via Bihariganj, P.S.

Bihariganj, District - Madhepura, at present chairman of Kali Trust Committee Sarouni

Kala, District -Madhepura.

.....Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through Chairman of Bihar State Board of Religious Trust, Vidyapati Marg, Bihar ,Patna.
2. The Chairman of Bihar State Board of Religious Trust, Vidyapati Marg, Patna.
3. The Administrator cum Special Executive Officer, Bihar State Religious Trust, Vidyapati Marg, Patna.
4. The Superintendent of Bihar State Board of Religious Trust, Vidyapati Marg, Patna.
5. The District Magistrate -cum- Collector, District- Madhepura.
6. Shri Surendra Mishra, S/o Late Balbhadra Mishra, R/o village Sarounikala, via Bihariganj,

P.S. Bihariganj, District - Madhepura.

7. Sri Shaleshwar Mandal, Father name not known Kali Mandir of Sarouni, R/o village Sarounikala, via Bihariganj, P.S. Bihariganj, District - Madhepura. .... Respondents

To,

The Hon'ble Ms Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Justices of the said Hon'ble Court.

The humble application on behalf of  
petitioner above named.

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this writ application is being filed for issuance of writ in the nature of certiorari for quashing the letter memo no.1766, dt.27.12.13 by which notice to only 15 persons villager Sarouni only, so far relating and constitution of the committee of the 11 persons Kali Mandir at Sarouni from Aam Sabha, whenever 11 members Committee has already been constituted, same has been reported to board and said committee is working without any complain from side of the village except Ex-Chaiman and Ex-Secretory, who have been removed from their post, when they had not furnished income and expenditure from 2005 to 2012, inspite of several notice and requested them for furnishing income and expenditure and they have defaulcated worth of the Rs.5,00,000 ( Five Lacs) and action taken by the present committee for recovery of said money, if any news committee will forms 11 member other than present member of the committee, defaulcated money shall not recovered, for this reason, terminated Ex-Chaiman and Ex-Secretory only, want new committee, as other than present member of present committee and further issued direction to the respondent Board for considering complain, which has been submitted by the present Management committee of the Kali Mandir of Sarouni, for recovery, who have been com-

-mitted defaulcation Rs.5,00,000 ( FiveLacs), and further give other legal consequential benefit attach to the post.

2. That main point involved in this writ application are as follows -

- i) Whether respondents Board can reconstitute a fresh committee,when a committee of the Kali Mandir is already going as per the order of the Board, against whom no complain from any corners or not?
- ii) Whether no occasion to issue the notice dt.27.12.2013 to only 15 members by which directed to call Aam Sabha on 22.01.2012 for constituting a new Management Committee of Kali Mandir at Sarouni or not?
- iii) Whether notice dt. 27.12.13 should have issued name of the present Managing Committee of the Kali Mandir Sarouni but respondent Board have issued in the name of the 15 persons, some of them are not even member of the present committee,respondent Board have taken an arbitrary action. Hence the notice dt. 27.12.13 is fit to be set aside or not?
- iv) Whether respondent Board have to consider an application filed by the present committee against Ex-Chairman and Ex-Secretory,who have been defaulcated the income of the Kali Mandir in the capacity of the Chairman and secretary and there after committee took resolution for removing from the post of Chairman and reported to the Board. Not only also filed complain regarding enquiry about defaulcation by Ex-Chairman namely Shaileshwar mandal but did not take any action till today under their influenced,impugned notice for fresh committee. Not only, member of the old committee shall not be elected as a member of the newly committee. Hence, petitioner and villagers are aggrieved the notice dt. 27.12.2013 or not?

3. That petitioners are citizen of India and he is right guarantee under the constitution of India.
4. That in the year 1950 a Kali Mandir established in the villager Sarounikal, P.S. Biha-riganj, District Madhepura, one Late Madan Mandal, who was Ex-landlord and donated 15 Acres of land at the time of abolished Jamindari Pratha and thereafter total responsibility had given to the villagers Sarounikala for performing Puja- Path of the Kali Mandir and yearly Mela ceremony celebrated by the villagers from the income of the said land and after death of donee Late Madan Mandal, villagers of Sarouni Kala have also purchased 11 Acres land from the income of the Chanda and subsequently shri Arjun Mandal donated land about 2 Acres, altogether 28 Acres land of the Kali Mandir Sarounikala for good management and Puja Path and it is pertaining to stated here that income and Chanda of the said land every year celebrated Mela of the Kali Puja by the consent of villagers.
5. That in the year 1960 the respondent Board taken over the Kali Mandir of Sarouni Kala, subsequently the villagers nominated the 11 persons as a Managing Committee of the said Mandir, same was approved by the Board, the villagers come to know that Managing Committee is not supervising the Kali Mandir properly, same complain filed before Board, thereafter villagers call Aam Sabha for constitution of fresh managing Committee after constituting 11 members of the committee, same was reported to the Board and same was approved in the year 1982.
6. That all the movable and immovable property has vested to the Bihar State Hindu Religious Trust Board, Patna, in pursuance of Sec. 22, Board constituted 11 members of the committee, first Chairman of the said committee Late Gulab Jha, and Secretary Late Panchanand Jha, and every year income and expenditure of Puja Patha, all public of the

village Sarouni Kala, after death the then Secretary Pandit Panchanand Jha, Late Shri Deo Mandal nominated as Secretary of Kali Nyash Samiti, Sarouni Kala.

7. That in the year 2005 as Secretary Shri Surendra Mishra nominated as Secretary and as Chairman of Shaileshwar Mandal but unfortunately both Chairman and Secretary of the Kali Nyas Samiti, Sarouni Kala misappropriated and mismanged income on person -al use. Even if Kali Nyash Samiti own A/c vide SB A/c 30063, State Bank of India, Bihariganj. But never operated said account by Ex- Secretary Shri Surendra Mishra and Shaileshwar Mandal. For this regard, villagers and members of the Managing Committee of Kali Nyash Samiti, Sarouni Kala filed several application before the Board but respondent Board did not take any step for enquiry, whenever U/s - 62 of Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 mandate to make enquiry.

8. That when Shri Shaileshwar Mandal was as Chairman of the Committee, Shaileshwar Mandal has been defaulcated the money of the temple ,as the income from the 28 Acres land was kept by Chairman Shaileshwar Mandal, whenever required for money, he did not return, in the result, member of the committee taken consent from villagers and remove from the post of the chairman of the Managing Committee and re-appointed one Members as a Chairman in place of ex-chairman Shaileshwar Mandal, who is petitioner .

9. That further needful to stated here that the Managing Committee of the Kali Mandir has also removed Shri Surendra Mishra from the post Secretary and also appointed Shri Shyamal Kishore Jha as Secretary of the Management Committee, after removing ex-Chairman and ex-Secretary from the committee, committee is managing properly the Mandir, villagers and local public of Sarouni kala are fully satisfaction from the present Managing Committee, having no complain till today against present committee.



10. That further needful to stated here that the Kali Mandir having Hat, in the month of March, Dak was made by the Committee of the Kali Mandir but in the March 2013 the Dak was made by Anchaladhikari, Gwalpara without taking any consent from the present Managing Committee, reason behind after removing Shaileshwar Mandal and Surendra Mishra, from the committee, they have made conspiracy with Anchaladhikari, Gwalpara and Dak was made by the Anchaladhikari Gwalpara and Dak amount is also kept by the Anchaladhikari, against them the present Managing Committee as well as villagers made complaint before the board and befor other authorities but did not take any step till today.

11. That further needful to stated here that the villagers and Managing Committee of the Kali Nyash Samiti, Sarouni Kala removed Surendra Mishra and appointed new Secretary of the said committee on 21.02.2013 and also removed Shaileshwar Mandal appointed Ashok Mandal as a Chairman, after due resolution committee, they have requested to Board to enquire about the matter of defalcation but board did not take any action nor taken any step for recovery as mandate U/s 63 of Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950.

12. That further needful to stated here that on 27.02.2012, Executive Committee of the Kali Nyash Samiti SarouniKala took resolution for removal of Chairman Shaileshwar Mandal and had removed from post of chairmanship and membership also and Ashok Mandal (petitioner) have been appointed as Chairman in the place of Shaileshwar Mandal with consent of villagers and have 11 members of the Executive committee of the Kali Nyash Samiti.

13. That it is needful to stated here that on 26.11.12, all members of the Executive Committee of Kali Mandir send a notice to the Ex-Secretary Surendra Mishra and asked about the income and expenditure of Nyash from 2005 to2012 and the Executive Commit-

tee members also took resolution if the Ex- Secretary is not performed the duty in the term condition with the consent of Samiti then he will be removed and appoint a new Secretary.

A true photo copy of the application d. 26.11.2012 and application along with detail name of the new committee dt. 21.02.13 are annexed as Annexure -1 & 2 to this application.

14. That further needful to stated here that on 01.12.2012, 09.12.12, 16.12.12 and 22.12.12, wrote a letter to the Ex-Secretary of convey the meeting of income and expenditure of the Committee but Ex- Secretary Shri Surendra Mishra did not take any pain and aforesaid letter did not received, lastly on 26.12.2012, Executive Committee took resolution no. 10 to remove Shri Surendra Mishra from post of Secretary of the committee and nominated Shri Shyamal Kishore Jha as Secretary, who is member of the earlier committee.

15. That on 24.01.13, Ex- Secretary received letter, and all members of the samiti asked to the Secretary to collect and submit the papers of the Panji.

16. That the petitioner and villagers Present committee agitate before S.D.O., B.D.O. and C.O. ,Gwalpara and also made application Officer incharge, Bihariganj and Board, regarding defalcation of the amounting about Rs. 5.00 Lakhs by the Ex-Secretary Surendra Mishra and also sent a copy before Religious trust committee, Patna but did not take any action whenever respondent board having duty U/s 62 of Bihar Hindu Religious Trust Act, 1950 to give assistance in enquiry.

A true photo copy of the letter dt. 08.04.13 & 11.04.13 is annexed as Annexure -3 series to this application.

17. That after lapse of long time Ex-Secretary not submitted the ledger book, Bank pass

book, proceeding Book or alleged amount of defalcated money.

18. That financial year 2013-14 has come for settlement of the Kali Samiti regarding immovable property like a Gudri Hatt for settlement on 28.03.2013 but S.D.O. Udakish-unganj asked to Secretary Shri Surendra Mishra even he is not the member of the said samiti informed about the disqualified from the liability from the post of the Secretary of the Nyash Samiti Sarouni kala from 26.12.12 itself and C.O. Gwalpara also by application dt.29.03.013.

A true photocopy of letter dt.29.03.013 are annexed as Annexure-4 to this application.

19. That on 30.03.13 vide memono. 1542 dt. 30.03.13 C.O. , Gwalpara settlement of the Kali Nyas Samiti property conveyance of Ex-Secretary Surendra Mishra without rule and regulation in the financial year 2013-14 to 2015-16.

20. That further needful to stated here that after removing the Ex- Secretary from the committee and Ex-chairman, new Chairman and secretary of the committee has already been appointed among the member with the consent of the villagers and informed to Religious Trust Board.

21. That even then respondent Sri Surendra Mishra and Sri Shaileshwar Mandal made conspiracy without any rule and regulation, without calling Aam Sabha, a list of the news members of the coommitte submitted before the Board gainst whom complain regarding defalcation is pending before the Religious Trust Board and also filed application for recovery of the defalcated money but Board did not taken action rather action taken for fresh committee, in the result, defalcaated amount of about 5 lacs shall not recovered, if the present committee shall not exist, on the ground ,present committee have 9 members

out of the 11 members of the committee, they are well aware of the expenditure of the income of the Kali Nyash Samittee, Sarouni kala.

23. That the Religious Trust Board has influenced Sri Surendra Mishra Ex- Secretary and Shaileshwar Mandal Ex- Chairman of the Kali Nyash Samittee, Sarouni kala and tried to constitute a 11 members of the new committee and tried to remove all the Ex-member of the committee, who has been raised voice regarding defalcation and recovery from Sri Surendra Mishra Ex- Secretary and Shaileshwar Mandal Ex- Chairman of the Kali Nyash Samittee, Sarouni kala and have been successful by issuance of the letter dt. 27.12.13 by which issued a notice only name of the 15 members of the villagers Sarouni including the name of the petitioner by which also hold and directed to submit 11 members of the list for the Nyash Committee. Whenever already 11 members committee is functioning by dedication and have no complaint against them till today thus no question arises for fresh or new members of the committee .

A true photo copy of letter dt. 27.12.2013 is annexed as Annexure - 5 to this application.

24. That it is needful to state here that the petitioner and villagers also got information that he has to be submitted 11 members for Nyash Committee of the Kali Mandir Sarouni Kala excluding the Ex-members, villagers and the present committee having objection, on the ground, firstly defalcation of the money should be recovered from the Ex- secretary, Sri Surendra Mishra and Ex- chairman Shaileshwar Mandal, till recovery no any fresh committee should be constituted otherwise no proper inquiry shall be held, only grievances of the present committee.

25. That further needful to state here that the present 11 members of the committee

has already been constituted by the consent of the villagers, as per letter dt. 27.12.13, no question arise regarding constitution of the new committee in this circumstances for constitution of the new committee by letter dt. 27.12.2013 should be quashed.

26. That further needful to stated here that, having no complain against the the President and Secretary of the new committee reason behind they are discharging duty with dedication of the Kali Mandir.

27. That it needful to stated here that elected ward member of the Grampanchayat Sarouni Kala filed application before Chairman of the Chairman of Bihar State Board of Religious Trust, Bihar, Patna and have constituted 11 member of new committee in the year 2013 and application also filed by the villagers of more than 1000 person, said application recieved on 30.04.13 by the Board, it seem that Board is well aware fact that after removing ex- chairman and ex- secretary of nyash Sammittee of Sarouni Kala and siad committee discharging duties without any complain thus notice 27.12.13.

A true photo copy of application dt. 30.04.13 is annexed as Annexure - 6series to this application.

28. That action of respondents are illegal, arbitrary, malafide and discouragement of justice

29. That on the above facts and circumstances of the case petitioner is deserve relief by this Hon'ble Court.

30. That petitioner has no other efficacious and alternative remedy save and except to move before this Hon'ble Court.

31. That petitioner has not moved any time earlier for the relief sought for in para-1 of this writ application.

It is therefore, prayed that your lordship may graciously be pleased to issue

notice to show cause as to why the relief sought for in para-1 of this writ application be not granted to the petitioner and upon cause being shown if any and after hearing the parties pass such other order/orders as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case;

And/Or

During the pendency of the writ application notice dt.27.12.2013 (annexure-5 ) may kindly stay.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Ashok Mandal, aged 55 year S/o Late Shital Mandal, R/o village Sarounikala, via Bihariganj, P.S. Bihariganj, District - Madhepura, at present chairman of Kali Trust Committee Sarouni Kala, District -Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That I have gone through the contents of this application and have fully understood the same. The statements made in paragraphs no.3,7 to 12,14 to 15,17 ,19 to 22 and 24 to 26 are true to my knowledge and those made in paragraphs no.4 to 6 ,13,16 to14,16 ,18,23 and 27 are based on information derived from the records of the case and rest are by way of submission before this Hon'ble Court.
3. That annexures are true/photo copies of the originals.

~~Shital Mandal~~  
Ashok Mandal

सेवा में

अध्यक्ष जाली न्याय समिति सरौनीकला

विषय:- सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्रा की न्याय समिति संहयन के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव

'उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि पूर्व अध्यक्ष श्री मैल्सेजर मैडल की न्याय समिति से हयन के बाद न्याय समिति के सभी सदस्यों को अहम भी कि अब न्याय समिति का कार्य पुनारूप से चलना शायद ही न्याय समिति विकास अ और आग्रसर होगी। लेकिन सचिव की मनमानी एवं कर्मचारी परम सीमा को पार कर कर चुकी है। जिससे न्याय समिति का हालत पूर्व से बदतर हो गई है।

21/10/2012  
दिनांक 26/11/2012  
अध्यक्ष अध्यक्ष  
सचिव सचिव  
न्याय समिति सरौनीकला

1 यह कि पूर्व अध्यक्ष की हयन के बाद तथा नए अध्यक्ष की चुनाव करने के उपरान्त सचिव को यह निर्देश दिया गया था कि वर्तमान वर्ष 2012 की शक्ति को बैंक खाता में रखना है। लेकिन सचिव ऐसा नहीं कर शक्ति को अपने पास रख कर शक्ति को गलत तरीके से अपने निजी कार्य में खर्च करते गए हैं।

2 सचिव की ऐसी हरकत को देखते हुए समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि अब समिति की वार्षिक आम की शक्ति को कौषा अध्यक्ष के माध्यम से वसूल कर बैंक खाते में जमावाइ जाय। कौषा अध्यक्ष के द्वारा योरी की वसूली गई कि सचिव के द्वारा विरोध हो गया अ वसूली शक्ति को खर्च करवा दिया गया।

3 वर्ष 2005 से वर्ष 2011 तक लगभग 1360000 शक्ति सचिव के पास है। दिनांक 28/10/2012 के आगसमा में सचिव के द्वारा वादा किया गया कि मैं पूर्व एवं वर्तमान वर्ष अ कुल शक्ति को दिनांक- 28/11/2012 के अन्दर बैंक खाते में डाल दूंगा। लेकिन बैंक खाता में अभी तक कोई शक्ति नहीं डाला गया है।



शांति प्रै पाय गही है। मैत्रा मिजी शांति न्यास सति  
की विकास कार्य करने में रुच्य हो गया है। इससे  
स्पष्ट होता है कि सचिव का नियत न्यास सति  
शांति की ब्यक्ति बनानी करने का हो गया है।

5) पूर्व में काली जी की नाविक पूजा समाधी के एक सप्त  
के अन्दर आप सभा बुलवाकर वसंत नर्य का आय-व्य-  
तया पूजा (मेला) से सम्बन्धित खर्च का लेखा-जोखा का  
लोगों की बीच प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन पूजा समा  
की गहीना कीतम जा रहा है और अभी तक आप सभा न  
बुलाइ गई है। इससे स्पष्ट होता है कि सचिव मनमानी  
कर रहे हैं।

6) सचिव न्यास सति के सदस्यों को मनमानी ढंग का  
हिसाब बनाकर सभी सदस्यों को जसका हिसाब पर  
हस्ताक्षर करने को कह रहे हैं। गलत हिसाब पर हम सभी से  
किसी भी स्वर में हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हैं।


7) न्यास सति पूर्व आशीर्वा के द्वारा नए मंदिर बनवाने का निर्णय  
लिया गया है। सोईदपूर्व वातावरण में मंदिर के कार्य को  
प्रारंभ करना था। लेकिन सचिव की मनमानी, एवं कर्मचारी के  
कारन मंदिर बनाना भी असंभव हुआ रहा है।

अतः अंत में न्यास सति के सभी सदस्य  
अल्पसंख्यक से आग्रह करते हैं कि कार्य कर्मचारी के हक बुलवा कर स  
की पद से हटाया जाए। साथ ही नए सचिव बनाकर सति की क  
की कार्य बढाने की कृपा की जाए।

दिनांक- 26/11/2012

- 7) ए. व. श्रीवास्तव
- 8) सतीश कुंठा
- 9) श्यामल- कि मा

विश्वास गजन  
काली न्यास सति की सभी सदस्य

- 1) भिवन न्यास मंडल
- 2) जयपुर शा मंडल
- 3)  एही कि  
श्रीमत्वर श्रीविके
- 4) काली मंडल
- 5) मि. वनकिमी इ. व।

सूचना

श्रीमान

अध्यक्ष विहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद परना।

विषय :- काली न्याय समिति खरीनी कला प्रकाशभाषा- विहायी गंज, जिला मधेपुरा के द्वारा दिनांक 26/11/2012 से दिनांक 05/02/2013 तक कापी न्याय समिति द्वारा की गई सभी कार्यवाही को विहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद को सौंपित करने के सम्बन्ध में।

महाप्राप


(1) उपरोक्त विषय के सर्वत्र में सादा सूचित करना है कि काली न्याय समिति खरीनी कला के निवर्तमान सचिव श्री सुरेश मिश्र के द्वारा न्याय की गति रुकान करने के पत्रागत दिनांक 26/12/2012 के प्रस्ताव संख्या 10 में लिखे गए निर्णय में श्री मिश्र को सचिव पद से पदभूषण कर दी गई है। साथ ही न्याय के अन्तर्गत के लिए प्रस्ताव संख्या 11 में गभै सचिव श्री रामभल विहार का को सचिव पद से हटा लिया है।

(2) न्याय समिति के दस सदस्यों द्वारा न्याय की शिफारिश श्री मान में सापेक्ष भी भेजी जा रही है। श्रीमान से आग्रह है कि गभै सचिव श्री रामभल विहार का को नाम की उल्लेखित करने की कृपा श्री मान/साथ ही निवर्तमान सचिव श्री मिश्र पर कार्रवाई कराई जाय ताकि गभै सचिव श्री रामभल विहार का को सचिव पद से हटा जाय।

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त विषयों पर जल्द अन्त आदेश कर संतोषजनक कार्यवाही करने की कृपा की जाय। जिनसे काली न्याय समिति विहायी गंज और अग्रह हो सकें। इसके लिए सचिव सहा श्रीमान के आभार व्यक्त हैं।

क. श्रीमान

21/12/13



विष्वाशभाजन  
रामभल विहार का (सचिव)  
21-12-2013  
काली न्याय समिति  
खरीनी कला।  
जिला मधेपुरा।

- 1. काली न्याय समिति की वर्तमान सूची की कॉपी - P-02
- 2. समिति के सभी सदस्यों द्वारा की गई अर्पण की कॉपी - P-03
- 3. दस सदस्यों की सापेक्ष पत्र की कॉपी - P-4 से 13 तक
- 4. सचिव श्री सुरेश मिश्र के द्वारा की गई अर्पण की कॉपी - P-14
- 5. अध्यक्ष द्वारा निवर्तमान सचिव को भेजी गई पत्र की कॉपी - P-16
- 6. दिनांक 06/12/2012 को कार्यकारिणी बैठक की कॉपी - P-18
- 7. दिनांक 10/12/2012 को कार्यकारिणी बैठक की कॉपी - P-19
- 8. दिनांक 14/12/2012 को कार्यकारिणी बैठक की कॉपी - P-20
- 9. अध्यक्ष द्वारा निवर्तमान सचिव को भेजी गई पत्र की कॉपी - P-22
- 10. दिनांक 26/12/2012 को कार्यकारिणी बैठक की कॉपी - P-23
- 11. अध्यक्ष द्वारा निवर्तमान सचिव को भेजी गई पत्र की कॉपी - P-24
- 12. दिनांक 05/02/2013 को कार्यकारिणी बैठक की कॉपी - P-25 और 26
- 13. दिनांक 16/02/2013 को निवर्तमान सचिव के द्वारा वर्ष 2005 से वर्ष 2012 तक के आय-व्यय से सम्बन्धित वर्षवार विवरण की कॉपी - P-29
- 14. दिनांक 19/10/2011 को निवर्तमान सचिव द्वारा दी गई वर्ष 2010 और 2011 का वार्षिक आय-व्यय विवरण की कॉपी - P-31 और 32
- 15. दिनांक 19/12/2012 को वर्ष 2012 की वार्षिक आय-व्यय की विवरण की कॉपी - P-32

सेवा में

श्रीमान्


अध्यक्ष विहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद पटना ।

विषय :- काशी न्याय समिति सरौनी कला धाना नभाषा विहायीगा,  
जिला मधेपुरा की सूचि संपित करने के सम्बन्ध में ।

महाशय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सादर सूचित करना है कि न्याय  
समिति की गई सूचि भेजी जा रही है । जो निम्न प्रकार है ।

1. श्री अशोक मंडल - अध्यक्ष - अशोक मंडल
2. " रामभल किशोर का सचिव - रामभल किशोर का
3. " विष्णुनाथ मंडल - कीषाद्वय - विष्णुनाथ मंडल
4. " वकील मंडल - सदस्य - वकील मंडल
5. " शिवनारायण मेहता " - शिवनाथ मंडल
6. " पूष्पी शर्मा " - पूष्पी शर्मा
7. " जयकृष्ण मंडल " - जयकृष्ण मंडल
8. " सुनील कुमार का " - सुनील कुमार का
9. " विवनन्दन मंडल " - विवनन्दन मंडल
10. " सुरेन्द्र मिश्र " - सुरेन्द्र मिश्र
11. " रामेश्वर ऋषिदेव " - रामेश्वर ऋषिदेव



विश्वसुभाजन

रामभल किशोर का

२१-२-२०१३

सचिव

काशी न्याय समिति

सरौनी कला

सेवा में ,

थानाध्यक्ष महोदय ,  
बिहारीगंज ।

विषय :- काली न्यास समिति सरौनी क्ला के निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र द्वारा न्यास की वित्तीय अनियमितता के आलोक में कानूनी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में ।

महाशय ,

उपरोक्त विषय के आलोक में सादर सूचित करना है कि निवर्तमान सचिव के द्वारा न्यास की लगभग 4,50,000 /= (चार लाख पचास हजार रुपया) रुपया गवन कर ली गई है । इसका स्मृत न्यास की बैंक खाता पासबुक इत्यादि स्मृत है जो इनके सचिव काल से चालु नहीं है ।

दिनांक 26.12.2012 को न्यास समिति की 8 कार्यकारिणी बैठक में दस सदस्यों के द्वारा सचिव पद से पदमुक्त कर दी गई है । सभी सदस्यों द्वारा निवर्तमान सचिव के विरुद्ध प्रथम पत्र भी बना दी गई है , इस माने की सूचना बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षदपटना को भेज दी गई है । लेकिन उक्त निवर्तमान सचिव के द्वारा अभीतक प्रभार समर्पित नहीं किया गया है साथ ही निवर्तमान सचिव के द्वारा अवैध रूप से न्यास का संचालन तथा न्यास से सम्बन्धित विकास कार्यों में किटन डाल हर मोड़ पर विवाद करवाने की साजिश की जा रही है , जबकि वर्तमान सचिव के द्वारा सभी सदस्यों के राय विचार से न्यास का संचालन स्वतंत्र रूप से करने की कोशिश की जा रही है । ऐसी परिस्थिति में निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र पिता स्व० बलभद्र मिश्र साकिन - सरौनी क्ला , थाना - बिहारीगंज , जिला- मधेपुरा पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा की जाय । पूर्व में भी श्रीमान् को एक आवेदन दी गई थी जिसमें अभीतक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है ।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त निवर्तमान सचिव पर कानूनी कार्यवाही करवाकर उक्त गवन की राशि को न्यास समिति में वापस करवाने की कृपा की जाय , जिससे न्यास समिति विकास की ओर अग्रसर हो सके।

विश्वरूप भाजु  
आशा मंडल  
अध्यक्ष  
काली न्यास समिति  
सरौनी क्ला  
08/01/2013

कमांक No. 2952  
 लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य ₹ 27 P  
 Amount of Stamps affixed Rs P  
 एक रजिस्ट्री प्राप्त किया  
 Received a Registered  
 पाने वाले का नाम मधुपुर तारीख माह  
 Addressed to मिहार Date Stamp  
 पानेवाले अधिकारी मिहार  
 Signature of Receiving Officer

R.F. 102503309 IN

बीमा नहीं NOT INSURED  
 कमांक No. 2953  
 लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य ₹ 27 P  
 Amount of Stamps affixed Rs P  
 एक रजिस्ट्री प्राप्त किया  
 Received a Registered  
 पाने वाले का नाम मिथुन तारीख माह  
 Addressed to मिहार Date Stamp  
 पानेवाले अधिकारी मिहार  
 Signature of Receiving Officer

R.F. 102503312 IN

बीमा नहीं NOT INSURED  
 कमांक No. 2954  
 लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य ₹ 27 P  
 Amount of Stamps affixed Rs P  
 एक रजिस्ट्री प्राप्त किया  
 Received a Registered  
 पाने वाले का नाम मिथुन तारीख माह  
 Addressed to मिहार Date Stamp  
 पानेवाले अधिकारी मिहार  
 Signature of Receiving Officer

R.F. 102503326 IN

बीमा नहीं NOT INSURED  
 कमांक No. 2955  
 लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य ₹ 27 P  
 Amount of Stamps affixed Rs P  
 एक रजिस्ट्री प्राप्त किया  
 Received a Registered  
 पाने वाले का नाम मिथुन तारीख माह  
 Addressed to मिहार Date Stamp  
 पानेवाले अधिकारी मिहार  
 Signature of Receiving Officer

R.F. 102503330 IN

बीमा नहीं NOT INSURED  
 कमांक No. 2956  
 लगाये गये डाक टिकटों का मूल्य ₹ 27 P  
 Amount of Stamps affixed Rs P  
 एक रजिस्ट्री प्राप्त किया  
 Received a Registered  
 पाने वाले का नाम मिथुन तारीख माह  
 Addressed to मिहार Date Stamp  
 पानेवाले अधिकारी मिहार  
 Signature of Receiving Officer

R.F. 102503343 IN

सेवा में ,

माननीय , अध्यक्ष ,

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वट्ट पटना , बिहार ।

प्रसंग :- जापांक 154 -2 दिनांक 30.03.2013 अंचल कार्यालय , ग्वालपाड़ा ।


विषय :- अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा , जिला- मधेपुरा द्वारा अवैधानिक रूप से काली न्यास समिति सरौनी कला का सरौनी स्थित हाट का दिनांक 01.04.2013 ई0 को 11:00 बजे दिन में अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में बन्दोवस्ती के लिये कराये गये डाक की रद्द करने के सम्बन्ध में ।

महाशय ,

संग्रहाधीन विषय के संदर्भ में सादर विनम्र निवेदन है कि मेरा नाम प्रमोद गंडम पिता स्व. लाल गंडम पिताश्री ग्राम सरौनी कला , अंचल - ग्वालपाड़ा आना - बिहारीगंज , जिला- मधेपुरा है । मैं वर्तमान में काली न्यास समिति सरौनी कला का विधिज्ञा चयनित अध्यक्ष हूँ । चूंकि वित्तीय अनियमितता के आरोप में दिनांक 26.12.2012 को उक्त न्यास समिति के दस सदस्यों द्वारा कार्य-कारिणी बैठक में पूर्व के सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र को सचिव के पदपर से पदसूक्त कर दिया गया है ।

यह उल्लिखित करना आवश्यक है कि विगत 30 -- 40 वर्षों से प्रमोद स्थित हाट का डाक काली न्यास समिति , सरौनी कला द्वारा संचालित रूप से संचालित किया जाता रहा है तथा न्यास समिति द्वारा कराये गये डाक के लिये कभी भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रही है । परन्तु निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र , जिन्होंने काली न्यास समिति सरौनी कला की कार्य-कारिणी बैठक में वित्तीय अनियमितता के आरोप में सचिव पद से पदसूक्त कर दिया गया था । उनके द्वारा पूर्वग्रह से गुणित होकर बिना किसी आधार के सरौनी हाट का डाक करवाने हेतु एक आवेदन अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा को दी गयी । जिसके आधार पर अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा ने बिना क्षेत्राधिकार के काली न्यास समिति सरौनी कला के क्षेत्राधिकार में अवरन हस्तक्षेप करते हुए अपने माध्यम से सरौनी हाट का डाक करवाने की आज सूचना जारी करवा दी तथा डाक के लिये अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में दिनांक 29.03.013 ई0 निर्धारित किया ।

Yashwanth  
Man  
11/04/13



न्याय समिति द्वारा अंचल अधिकारी महोदय ग्वालपाड़ा के उक्त कार्यवाही के विलम्ब दिनांक 29.03.2013 को निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र के आवेदन पर विचार नहीं करने तथा सरौनी हाट के डाक को तत्काल स्थगित कर न्याय समिति के सदस्यों से विचारोपरान्त आगे की कार्यवाही करने हेतु अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा की सेवा में एक आवेदन दिया तो दिनांक 29.3.2013 ई0 को होने वाले डाक को तत्काल स्थगित कर दिया गया । परन्तु अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा द्वारा पुनः एक आम सूचना जारी करते हुए सरौनी हाट के डाक हेतु नयी तिथि दिनांक 01.04.2013 ई0 को 11:00 बजे दिन में अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में निर्धारित कर दी गयी । जिसकी प्रति काली न्याय समिति सरौनी कला के किसी भी सदस्य को हस्तगत नहीं करवाया गया बर्र और उक्त न्याय समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अंचल अधिकारी महोदय ग्वालपाड़ा द्वारा सरौनी स्थित हाट का वर्ष 2013 -014 के बन्दोवस्ती के लिये डाक करवा दिया गया जो बिलकुल ही अवैधानिक है ।

कक्षिक काली न्याय समिति सरौनी द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों को दिनांक 21.02.2013 को समर्पित की गई थी जिसकी प्राप्त रसीद की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न है । जिसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण न्याय समिति को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । जबकि हाट डाक के पूर्व न्याय समिति द्वारा आम पेड़ की बन्दोवस्ती विधिवत कर दी गई है ।

अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा के द्वारा न्याय समिति में अनाधिकार हस्तक्षेप के पश्चात दिनांक 31.3.2013 से 8.4.2013 तक जिला पदाधिकारी गधेमुरा , अनुमण्डल पदाधिकारी अदाकिशुमगंज , भूमि सुधार उपसमाहर्ता अदा-किशुमगंज , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ग्वालपाड़ा , थानाध्यक्ष बिहारीगंज से सम्पर्क कर डाक को निरस्त करवाने तथा उक्त निवर्तमान सचिव पर कानूनी कार्यवाही करने की आवेदन दी गई । लेकिन किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त रसीद नहीं दी गई साथ ही कहीं भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं देखी गई , पदाधिकारियों के रवैये से अनुभव हुआ कि यहाँ न्यायोचित कार्यवाही होने की कोई उम्मीद नहीं देखी गई । अन्ततः सभी पदाधिकारियों को स्पीड -पोस्ट द्वारा आवेदन भेज दी गई । जिसकी प्राप्त रसीद आवेदन के साथ संलग्न है ।

आतः उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में श्रीमान्, से सादर धन्य निवेदन है कि इस आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी ग्वाल-पाड़ा द्वारा औद्योगिक रूप से सरौनी स्थित हाट का वर्ष 2013-014 के बन्दोवस्ती के लिये दिनांक 01.04.2013 ई0 को अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में करवाये गये डाक को रद्द करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र

को पदसूक्त किये जाने की सूचना एवं प्रभार समर्पित करने की पत्र की छायाप्रति ।

2. दिनांक 26.11.2012 से 05.02.2013 तक काली न्याय समिति द्वारा की गई सभी कार्यवाही की सूचना अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद् पटना को दिये जाने तथा प्राप्त रसीद की छायाप्रति ।

श्रीमान्, का विश्वासी

श्रीमान् श्री 50

§अध्यक्ष §

01/04/2013

काली न्याय समिति सरौनी,

अंचल - ग्वालपाड़ा,

जिला - मधेपुरा ।

3. दिनांक 29.03.013 को अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा को दिये गये आवेदन की कार्बन प्रति ।

4. अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा द्वारा दिनांक 154 - 2 दिनांक 30.03.013 को जारी आम सूचना की छाया प्रति ।

5. जिला पदाधिकारी मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी उदाकिशुमगंज, भूमि सुधार उपसमाहर्ता उदाकिशुमगंज, पृथग् विकास पदाधिकारी ग्वालपाड़ा, को दी गई आवेदन पीड पोस्ट की प्राप्त रसीद की छाया प्रति ।

6. थानाध्यक्ष बिहारीगंज को दी गई आवेदन स्पीड पोस्ट की फोटी कॉपी ।



सेवा में , *माननीय जिला पदाधिकारी महोदय*  
*जिला- मधेपुरा*

पुसंग :- ज्ञापक 154 -2 दिनांक 30.03.2013 अंचल कार्यालय , ग्वालपाड़ा ।

विषय :- अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा , जिला- मधेपुरा द्वारा अवैधानिक रूप से काली न्यास समिति सरौनी क्ला का सरौनी स्थित हाट का दिनांक 01.04.2013 ई0 को 11:00 बजे दिन में अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में बन्दोवस्ती के लिये कराये गये डाक की रद्द करने के सम्बन्ध में ।

महाशम ,

पुसंगाधीन विषय के संदर्भ में सादर किन्मू निवेदन है कि मेरा नाम अशोक मंडल पिता स्व0 शीतल मंडल निवासी ग्राम सरौनी क्ला , अंचल -ग्वालपाड़ा थाना - बिहारीगंज , जिला- मधेपुरा है । मैं वर्तमान में काली न्यास समिति सरौनी क्ला का विधिमत चयनित अध्यक्ष हूँ । चूंकि वित्तीय अनियमितता के आरोप में दिनांक 26.12.2012 को उक्त न्यास समिति के दस सदस्यों द्वारा कार्य-कारिणी बैठक में पूर्व के सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र को सचिव के पदपर से पदमुक्त कर दिया गया है ।

यह उल्लिखित करना आवश्यक है कि विगत 30 - 40 वर्षों से सरौनी स्थित हाट का डाक काली न्यास समिति , सरौनी क्ला द्वारा सुचारु रूप से करवाया जाता रहा है तथा न्यास समिति द्वारा कराये गये डाक के विरुद्ध कभी भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं रही है । परन्तु निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र , जिन्हें काली न्यास समिति सरौनी क्ला की कार्य कारिणी द्वारा वित्तीय अनियमितता के आरोप में सचिव पद से पदमुक्त कर दिया गया था । उनके द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर बिना किसी आधार के सरौनी हाट का डाक करवाने हेतु एक आवेदन अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा को दी गयी । जिसके आधार पर अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा ने बिना क्षेत्राधिकार के काली न्यास समिति सरौनी क्ला के क्षेत्राधिकार में जबरन हस्तक्षेप करते हुए अपने माध्यम से सरौनी हाट का डाक करवाने की आम सूचना जारी करवा दी तथा डाक के लिये अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में दिनांक 29.03.013 ई0 निर्धारित किया ।

न्याय समिति द्वारा अंचल अधिकारी महोदय ग्वालपाड़ा के उक्त कार्यवाही के विरुद्ध दिनांक 29.03.013 को निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र के आवेदन पर विचार नहीं करने तथा सरौनी हाट के डाक को तत्काल स्थगित कर न्याय समिति के सदस्यों से विचारोपरान्त आगे की कार्यवाही करने हेतु अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा की सेवा में एक आवेदन दिया तो दिनांक 29.3.013 ई0 को हाने वाले डाक को तत्काल स्थगित कर दिया गया । परन्तु अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा द्वारा पुनः एक आम सूचना जारी करते हुए सरौनी हाट के डाक हेतु नयी तिथि दिनांक 01.04.2013 ई0 को 11:00 बजे दिन में अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में निर्धारित कर दी गयी । जिसकी प्रति काली न्याय समिति सरौनी क्ला के किसी भी सदस्य को हस्तगत नहीं करवाया गया बल्कि और उक्त न्याय समिति के सदस्यों की अनुपस्थिति में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अंचल अधिकारी महोदय ग्वालपाड़ा द्वारा सरौनी स्थित हाट का वर्ष 2013 -014 के बन्दोवस्ती के लिये डाक करवा दिया गया जो बिल्कुल ही अवैधानिक है ।

कक्षी काली न्याय समिति सरौनी द्वारा की गई सभी कार्यवाही को दिनांक 21.02.2013 को समर्पित की गई थी जिसकी प्राप्त रसीद की छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न है । जिसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण न्याय समिति को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है । जबकि हाट डाक के पूर्व न्याय समिति द्वारा आम पेड़ की बन्दोवस्ती विधिगत कर दी गई है ।

अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा के द्वारा न्याय समिति में अनाधिकार हस्तक्षेप के पश्चात दिनांक 31.3.2013 से 8.4.2013 तक जिला पदाधिकारी मधेपुरा , अनुमण्डल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज , भूमि सुधार उपसमाहर्ता उदाकिशुनगंज , प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ग्वालपाड़ा , थानाध्यक्ष बिहारीगंज से सम्पर्क कर डाक को निरस्त करवाने तथा उक्त निवर्तमान सचिव पर कानूनी कार्यवाही करने की आवेदन दी गई । लेकिन किसी भी पदाधिकारी द्वारा प्राप्त रसीद नहीं दी गई साथ ही कहीं भी न्याय मिलने की उम्मीद नहीं देखी गई , पदाधिकारियों के रवैये से अनुभव हुआ कि यहाँ न्यायोचित कार्यवाही होने की कोई उम्मीद नहीं देखी गई । अन्ततः सभी पदाधिकारियों को स्प्रीड -पोस्ट द्वारा आवेदन भेज दी गई । जिसकी प्राप्त रसीद आवेदन के साथ संलग्न है ।

अतः उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में श्रीमान्, से सादर विनम्र निवेदन है कि इस आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी ग्वाल-पाड़ा द्वारा अवैधानिक रूप से सरौनी स्थित हाट का वर्ष 2013-014 के बन्दोवस्ती के लिये दिनांक 01.04.2013 ई० को अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा में करवाये गये डाक को रद्द करने का आदेश पारित करने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :- निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र

को पदमुक्त किये जाने की सूचना एवं प्रभार

सम्पत्तित करने की पत्र की छायाप्रति ।

2. दिनांक 26.11.2012 से 05.02.2013 तक काली न्याय समिति द्वारा की गई सभी कार्यवाही की सूचना अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद् पटना को दिये जाने तथा प्राप्त रसीद की छायाप्रति ।

3. दिनांक 29.03.013 को अंचल अधिकारी ग्वालपाड़ा को दिये गये आवेदन की कार्बन प्रति ।

4. अंचल कार्यालय ग्वालपाड़ा द्वारा गैरपांक 154 - 2 दिनांक 30.03.013 को जारी आम सूचना की छाया प्रति ।

5. जिला पदाधिकारी मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी उदाकिशुनगंज, भूमि सुधार उपसमाहर्ता उदाकिशुनगंज, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ग्वालपाड़ा, को दी गई आवेदन स्पीड पोस्ट की प्राप्त रसीद की छाया प्रति ।

6. थानाध्यक्ष बिहारीगंज को दी गई आवेदन स्पीड पोस्ट की फोटो कॉपी ।

श्रीमान्, का विश्वासी

अशोक मिश्र

11.04.2013

§अध्यक्ष §

काली न्याय समिति सरौनी

अंचल - ग्वालपाड़ा,

जिला - मधेपुरा ।

Date: 10/11/13

श्री मान् अचल आदिवासी मंडल, खामना  
 विषय: काली ग्रास समिति सगी की समीची की व.व.व.व.व.  
 के सम्बन्ध में  
 महाशय.

उपरोक्त विषय के आसक्त में सादर सूचित करना  
 है कि विश्वस्य सुभ से पता चला कि ग्रास को हटाने-  
 डाक दिनांक 29.03.2013 को अचल कमिन्स में निर्धारित  
 है। जब की डाक में उपस्थित होने के लिए पंचायत में  
 कोई सूचना नहीं दी गई साथ ही ग्रास समिति को  
 भी डाक के बारे में कोई जानकारी नहीं है।  
 श्री मान् के द्वारा ग्रास समिति को कोई जानकारी नहीं  
 है। दी गई है ग्रास के सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र के  
 द्वारा अचल कमिन्स में वही वही के लिए आवेदन ले-  
 गई है जब की श्री सुरेन्द्र मिश्र कि वर्तमान सचिव की समिति  
 के 10 (दस) सदस्यों द्वारा कार्य करती है। दिनांक 26.12.2012  
 को सचिव पद से पद मुक्त कर नये सचिव के रूप में  
 श्री श्यामल किशोर भा को सर्व समीची से सचिव चुनकर  
 विश्व राज्य चामुके ग्रास पट्टे पटना को सूचना भेज  
 दी गई है साथ ही वर्तमान सचिव श्री श्यामल किशोर भा  
 के द्वारा ग्रास समिति की संचालन किया जा रहा है।  
 भवतः

श्री मान् से अनुरोध है कि निः कमान्  
 सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र को दी गयी आवेदन को श्वरित  
 कर व.व.व.व.व. को भगत भविष्य तक के लिए स्वतंत्र  
 जाने की कृपा की जाय। विद्योत्त पञ्जाब ग्रास समिति  
 को के द्वारा भाग के सदस्यों से पुनः व.व.व.व.व.  
 करवाने की कृपा की जाय।

अनुरोध

- 1) विश्व राज्य चामुके ग्रास पट्टे पटना को सूचना भेजने की प्रतिलिपि कापी।
- 2) दिनांक 26.12.2012 की कार्य करती है। दिनांक 26.12.2012 की प्रतिलिपि कापी।
- 3) विश्व राज्य चामुके ग्रास पट्टे पटना को सूचना भेजने की प्रतिलिपि कापी।

विश्वास भानु  
 24/11/13 दिनांक 24-11-2013

# बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्

विद्यापति मार्ग, पटना-800001

BIHAR STATE BOARD OF RELIGIOUS TRUSTS

Vidyapati Marg, Patna- 800001

पत्रांक:- 1766

*निरीक्षक*

दिनांक:- 27/12/13

प्रेषक:- तुलस्थान सैगल,  
निरीक्षक।

सेवा में,

1. श्री अशोक मंडल, पिता-स्व० शीतल मंडल,
  2. श्री सुरेन्द्र मिश्र, पिता-स्व० बलभद्र मिश्र,
  3. श्री विश्वनाथ मंडल, पिता-स्व० सुन्दर मंडल,
  4. श्री पृथ्वी शर्मा, पिता-स्व० सरोवर शर्मा,
  5. श्री श्यामल किशोर झा, पिता-स्व० मनोहर झा,
  6. श्री शिवनन्दन मंडल, पिता-स्व० श्रीदेव मंडल,
  7. श्री वकील मंडल, पिता-स्व० सहदेव मंडल,
  8. श्री संतोष कुमार झा, पिता-श्री निर्मल कुमार झा,
  9. श्री रामेश्वर ऋषिदेव, पिता-स्व० नडू ऋषिदेव,
  10. श्री जयकृष्ण मंडल, पिता-स्व० गोवर्धन मंडल,
  11. श्री शिव नारायण मेहता, पिता-स्व० तिलाय मेहता,
  12. श्री भीम कुमार, पिता-स्व० राधामोहन मंडल,
  13. श्री पंकज कुमार, पिता-श्री शैलेश्वर मंडल,
  14. श्री प्रभाकर मिश्र, पिता-श्री कामेश्वर मिश्र,
  15. श्री परमानन्द मेहता, पिता-श्री तनुकलाल मेहता,
- सभी निवासी ग्राम+पोस्ट-सरौनी, थाना-बिहारीगंज,  
जिला-मधेपुरा-852101.

विषय :- श्री काली मंदिर, सरौनी, ग्राम+पोस्ट-सरौनी, थाना-बिहारीगंज,  
जिला-मधेपुरा के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त विषयक न्यास का जाँच किया जाना है एवं आमसभा द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह व्यक्तियों के नामों का चयन होना है।

अतः आपसे आग्रह है कि आप दिनांक 22.01.2014 को श्री काली मंदिर परिसर में 11 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होने का कष्ट करें, ताकि आप न्यास के सुव्यवस्था एवं संचालन हेतु अपना पक्ष रख सकें।

भवदीय

*निरीक्षक*  
निरीक्षक।

सेवा में ,

श्रीमान्, अध्यक्ष ,

धार्मिक न्याय पर्वद पटना ।

विषय :- पंचायत के जनप्रतिनिधियों का समर्थन काली न्यास समिति के सम्बन्ध में महाशम ,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि श्री सुरेन्द्र मिश्र सचिव काली न्यास समिति सरौनीकला को न्याय समिति के ग्यारह सदस्यों समिति में से कुल दस सदस्यों में एक मत होकर श्री मिश्र के द्वारा किये गये अनियमितता एवं न्याय के राशि गवन के आरोप में सचिव पद से हटा दी गई है हम सभी जन प्रतिनिधि उक्त न्याय समिति के समर्थन में हैं ।

अतः श्रीमान्, से आग्रह है कि श्री मिश्र पर कानूनी कार्रवाई की गवन की राशि को बैंक खाते में भेजवाने की कृपा की जाय इसके लिए हम सभी जनप्रतिनिधि श्रीमान्, का आभारी हू रहेगें ।

① अनिता देवी

वार्ड सदस्य  
वार्ड न०-13  
ग्राम पंचायत राज सरौनी कला  
प्रखण्ड-गवालपाड़ा (मधेपुरा)

विश्वास भाजन

माता देवी

वार्ड सदस्य  
वार्ड न०-01  
ग्राम पंचायत-सरौनी कला  
प्रखण्ड-गवालपाड़ा (मधेपुरा)

② इका देवी

वार्ड सदस्य  
वार्ड न०-07

राजीव मिश्र

वार्ड सदस्य  
वार्ड न०-11  
ग्राम पंचायत-सरौनी कला  
प्रखण्ड-गवालपाड़ा (मधेपुरा)

मिथिलेश

अर्पिता

वार्ड सदस्य  
वार्ड न०-04  
ग्राम पंचायत सरौनी कला  
प्रखण्ड-गवालपाड़ा (मधेपुरा)

नीलम देवी

वार्ड सदस्य  
वार्ड न०  
ग्राम पंचायत-सरौनी कला  
प्रखण्ड-गवालपाड़ा (मधेपुरा)

राती देवी

वार्ड सदस्य  
वार्ड न०-02  
ग्राम पंचायत-सरौनी कला  
प्रखण्ड-गवालपाड़ा (मधेपुरा)

त्रिवेणी मुखिया

उपसचिव  
ग्राम पंचायत सरौनी कला  
प्रखण्ड-गवालपाड़ा (मधेपुरा)


सोप में

माननीय ..... श्री मान अध्यक्ष बिहार राज्य धार्मिक  
न्यास परिषद पटना

विषय—काली न्यास समिति के श्री सुरेन्द्र मिश्र के द्वारा न्यास की राशि गबन करने के संबंध में।

महाशय,

1. उपरोक्त विषय के आलोक में सूचित करना है कि काली जी की स्थापना ब्रह्मज्ञानी डयोदी की जमीनदार स्व० मदन मंडल द्वारा की गयी थी उनके द्वारा काली जी के नाम से पन्द्रह (15) एकड़ जमीन दिया गया था। जमीनदारी प्रथा समाप्त होने के पश्चात काली जी की पुरा जवाबदेही आम जनता को सौंप कर चले गये। जमीनदार स्वयं मदन मंडल को जाने के बाद आम जनता द्वारा चंदा की राशि से काली जी के नाम से (11) ग्यारह एकड़ जमीन खरीदा गया था। जमीन की फसल के आमदनी से आम जनता द्वारा काली जी का पूजा सम्पादन हुआ करता था। काली जी के नाम से कुल (26) छब्बीस एकड़ जमीन है।
2. वर्ष 1982 ई० में काली जी के सारी जवाबदेही न्यास बोर्ड पटना बिहार सरकार के अधीन हो गया जिसमें न्यास बोर्ड पटना के द्वारा (11) ग्यारह सदस्य समिति बनाई गई। काली न्यास का प्रथम अध्यक्ष स्व० गुलाब झा एवं सचिव स्व० पंचानन्द झा को बनाया गया था। समिति और आम जनता के सहमति से काली जी का पूजा एवं हर वर्ष आय-व्यय का हिसाब आम जनता को बैठक के माध्यम से होता रहा। श्री पंचानन्द झा के स्वर्गवास हो जाने के बाद स्व० श्री देव मंडल को सचिव बनाया गया था। उनके द्वारा समिति की सभी कार्यवाही सम्पादन होता था। अचानक स्व० मंडल की भी स्वर्गवासी हो गई। पुनः स्व० गोपी कान्त मिश्र को न्यास समिति की सचिव बनाया गया।  
उनके सचिव काल में न्यास समिति में अनियमितता हो जाने से आम जनता आक्रोशित हुए। न्यास समिति और आम जनता के बीच अनियमितता को लेकर विवाद बढ़ गई, आम जनता के माध्यम से समिति का शिकायत न्यास बोर्ड पटना को भेजा गया। न्यास बोर्ड पटना के द्वारा न्यास समिति को भंग कर दी गयी और (11) ग्यारह सदस्य की नई समिति बनाई गई थी।  
नई समिति के अध्यक्ष श्री शालेश्वर मंडल एवं सचिव स्व० अनिरुद्ध प्र० सिंह को बनाया गया था। नई समिति एवं आमजनता के द्वारा काली जी का पूजा एवं वर्षवार आय व्यय का हिसाब आम जनता की बैठक में होता रहा स्व० अनिरुद्ध प्र० सिंह के अस्वस्थ रहने के कारण समिति में परेशाली बढ़ गई। आम जनता के द्वारा उनसे इस्तिफे की



मांग की गई उसाके बाद स्व० अनिरुद्ध प्र० सिंह समिति के सचिव पद एवं सदस्यता से इस्तिफा दे दिए।

5. अध्यक्ष श्री शैलेश्वर मंडल द्वारा मनमानी ढंग से नए सचिव वर्ष 2005 में श्री सुरेन्द्र मिश्र को बना लिया गया। श्री मिश्र को सचिव बनाने के बाद आज तक न्याय समिति के द्वारा आय व्यय का हिसाब आम जनता को नहीं दिखाई जा रही है। श्री सुरेन्द्र मिश्र के सचिव काल में अध्यक्ष और सचिव के मिली-भगत से न्यास समिति की राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यास समिति का वार्षिक आय निम्न प्रकार है:-

1. न्यास की (11) ग्यारह एकड़ जमीन ठीकेदारी से	-50,000.00
2. नदैया टोला (8) आठ एकड़ ठीकेदारी से	-50,000.00
3. काली स्थान (3) तीन एकड़ जमीन एवं पोखर से	-30,000.00
4. काली स्थान चौक दुकानदार से	-50,000.00
5. मंदिर प्रांगण हाट से	-70,000.00
6. अन्य श्रोत बॉस अरहत, लकड़ी आरहत, मवेसी व्यापारी से	-50,000.00

कुल 3,00,000.00

(कुल तीन लाख रुपये)

7. काली पूजा के शुभ अवसर पर मात्र (50,000.00) पच्चास हजार रूपया पूजा विधि में खर्च किया जाता है, शेष राशि अध्यक्ष, सचिव के द्वारा गबन कर ली जाती है। न्यास समिति के नाम से बैंक खाता भी हैं, लेकिन न्यास की आय की एक भी राशि बैंक खाता में नहीं जाता हैं। सभी राशि को अध्यक्ष, सचिव अपने जेब में रख कर अपना निजी काम चलाते हैं। न्यास की विकास से अध्यक्ष, सचिव को कोई सरोकार नहीं हैं।
8. समिति के सदस्यों द्वारा जब अध्यक्ष सचिव का विरोध किया जाता है तो विरोधी सदस्यों को समिति से निकालकर अन्य अपने समर्थक को समिति के सदस्य बनाकर खाओं पकाओं समिति बनाकर काम निकालते जा रहे है। जिसके कारण न्यास समिति के सदस्य भी कुछ बोलने से लाचार हो जाता है। अध्यक्ष, सचिव गाँव के दबंग व्यक्ति हैं, वो अपने दबंगता के बल पर ग्रामीण जनता एवं समिति के सदस्यों के आक्रोश का प्रवाह नहीं करते हैं। अध्यक्ष के उपर कई संगिन मुकदमा जैसे लूट, डकैती, खूनी, राह जानी के अभियुक्ति हैं।
9. सचिव का कहना हैं जहाँ जाना हैं जाईए मेरा कोई कुछ नहीं बीगार सकेगा। न्यास समिति के सचिव के हरकत से आम जनता आक्रोशित है। कभी भी खून-खराबा तथा अप्रिय घटना हो सकती है।



10. वर्ष 2012 को फरवरी माह में न्यास के सभी सदस्य एवं सचिव श्री सुरेन्द्र मिश्र कठोर निर्णय लेकर अध्यक्ष श्री शैलेश्वर मंडल को अध्यक्ष पद एवं सदस्यता को समाप्त कर नए अध्यक्ष श्री अशोक मंडल को बना लिया गया।
11. अध्यक्ष श्री शैलेश्वर मंडल के हट जाने के बाद श्री सुरेन्द्र मिश्र सचिव पद पर रह कर अपनी मनमानी को नहीं रोक पाए। इनके द्वारा न्यास के अध्यक्ष, समिति के सभी सदस्यों की निर्णय मान्य नहीं हुआ करता था। साथ आम लोगों का भी कोई महत्व नहीं दे रहे थे। ग्रामीणों की सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते थे।
12. श्री मिश्र के सचिव काल में वर्ष 2005 से वर्ष 2012 तक उनके सचिव काल से लगभग 5,00,000.00 (पाँच लाख रूपया) गवन कर ली गई है। जिसका सबूत न्यास समिति का बैंक खाता, रोकड़ पंजी हैं। जो श्री मिश्र के सचिव काल से संचालन नहीं हो रहा है।
13. श्री मिश्र न्यास की राशि को अपने पास रखकर अपने निजी कार्य में खर्च कर न्यास की राशि को गवन कर ली है। जिस गमन के आरोप में न्यास समिति के 10 (दस) सदस्य एवं अध्यक्ष श्री अशोक मंडल एक मत होकर सभी प्रक्रिया को पूरी कर दिनांक-26.12.2012 को कार्यकारी बैठक में सचिव पद से हटा दिया गया है। साथ ही न्यास समिति के सभी 10 सदस्यों द्वारा न्यास की राशि गवन एवं हटाये जाने की शपथ-पत्र भी प्रस्तुत कर धार्मिक न्यास पार्षद पटना को भेजी गई है।
14. न्यास समिति के सचिव पद से हटाये जाने की पत्र न्यास समिति द्वारा श्री मिश्र को भेज दी गई है साथ ही श्री मिश्र पत्र को प्राप्त कर प्राप्ति रसीद बनाये हुए है लेकिन अभी तक न्यास की प्रभार देने को तैयार नहीं है। श्री मिश्र मात्र 1 मेन न्यास समिति बनाकर न्यास के कार्य को अवरुद्ध कर रहे हैं। जिसका उदाहरण है हाट की बन्दोबस्ती।
15. हाट की बन्दोबस्ती श्री मिश्र के द्वारा अंचल कार्यालय में करवाई गयी है और हाट बन्दोबस्ती की राशि भी शायद अंचल नजारत में ही रखा गया है। जबकि आज तक न्यास की सभी बन्दोबस्ती सरौनी काली स्थान में ही होते आया हैं साथ बन्दोबस्ती के विषय पर आज तक कभी भी कोई शांति भंग होने की कोई सबूत श्री मिश्र के पास उपलब्ध नहीं है।
16. वर्तमान न्यास समिति की गठन निम्न प्रकार है:-
  1. श्री अशोक मंडल (अध्यक्ष)
  2. श्री श्यामल किशोर झा (सचिव)
  3. श्री विश्वनाथ मंडल (कोषाध्यक्ष)

5. श्री शिवनारायण मेहता (सदस्य)
6. श्री संतोष कुमार झा, (सदस्य)
7. श्री शिवनन्दन मंडल, (सदस्य)
8. श्री रामेश्वर ऋषिदेव, (सदस्य)
9. श्री जयकृष्ण मंडल, (सदस्य)
10. श्री पृथ्वी शर्मा, (सदस्य)
11. श्री सुरेन्द्र मिश्र, (सदस्य)

17. उपरोक्त गठित न्यास समिति को स्वीकृति प्रदान की जाय। साथ ही श्री मिश्र पर कानूनी कार्रवाही कर गबन की राशि को न्यास की खाते में भेजवाई जाए।

ऐसी परिस्थिति में न्यास समिति की जाँच काली मैदान में आम लोगों के बीच हो जिससे सच्चाई मिल सके। जांचो उपरान्त न्यास समिति के निवर्तमान सचिव श्री सुरेन्द्र पर कानूनी कार्रवाही की जाए जिससे न्यास समिति विकास की ओर अग्रसर हो सके साथ ही आम जनता को अधिकार मिल सके।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि उपरोक्त विषय पर गहन ध्यान रखते हुए समिति की जांच अविलम्ब कर कानूनी कार्यवाही की जाय तथा जांचो उपरान्त न्यास की राशि को बैंक खाते में भेजवाई जाय।

इसके लिए हम समस्त सरौनी कला ग्रामवासी श्रीमान का सदा अमारी रहेगे।

विश्वासभाजन

अनुमोदन :-

- ① लगभग 1000 ग्रामीणों का हस्ताक्षर एवं अंगुठा का निशान 23 पंज में।
- ② ग्राम पंचायत के मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य का अनुसंसा हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ 1 पंज में।

ग्राम-पंचायत-सरौनी कला के आम जनता

प्रखण्ड-गवालपड़ा, जिला-मधेपुरा।

शिवनन्दन मंडल

नवलकेश मंडल

सुमन कुमार मंडल

अश्विनी 292 मुखिया

आर.क. मंडल

अशोक मंडल

मनोज कुमार

सुखनन्दी मंडल

कुल 291 मंडल